



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 557 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2024

सं०-08/विविध (01)22/2023-4558--चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में लोक व्यवस्था के अनुरक्षण तथा विध्वंसात्मक कार्यों को निवारित व प्रतिबंधित करने हेतु अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं कि इस निमित्त विशेष पूर्वावधान बरती जाय,

इसलिए, अब बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) POL डिपो, राधागांव, (राधानगर), बोकारो को Protected Area (प्रतिबंधित क्षेत्र) घोषित किए जाने हेतु चास अंचल अन्तर्गत मौजा-राधानगर, थना नं०-36/201, अन्तर्गत खाता नं०-136, प्लॉट नं०-303, रकवा-65.00 एकड़ भूमि एवं खाता नं०-154. प्लॉट नं०-220 एवं 230, रकवा-4.65 एकड़ के निम्नलिखित कुल 69.65 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

संरचना का नाम	मौजा का नाम एवं पता	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (क्षेत्रफल एकड़ में)	चौहद्दी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(BPCL) POL डिपो, राधागांव, (राधानगर), बोकारो	मौजा- राधानगर, थाना संख्या- 36/201, अंचल-चास, जिला-बोकारो	136	303	65.00 एकड़	उत्तर-निजी कृषि भूमि, दक्षिण-ग्रामीण आबादी पूर्व-रेलवे लाईन पश्चिम-ग्राम चैनपुर
		154	220 एवं 230	4.65 एकड़	
				कुल-69. 65 एकड़	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION7th August, 2024

No.-08/Vividh (01)-22/2023-4559--Whereas the Governor of Jharkhand considers it necessary and expedient that for the maintenance of the public order and for prevention or preventing or suppressing subversive acts, special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into the places described in the Schedule given below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-3 (1) of the Bihar (read with Jharkhand) Protected Place Act, 1979 (Bihar Act I of 1979), the Governor of Jharkhand is pleased to declare the highly sensitive place Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) POL Depo, Radhagoan, Bokaro, Total 69.65 Acres as mentioned below to be protected places for purposes of the said Act:-

Name of Structure	Mauja Name and Address	Khata No.	Plot No.	Area in Sq.ft/Acre	Boundary: As per Survey Plot No.
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) POL Depo, Radhagoan, Bokaro	Mauja - Radhanagar, Thana No.- 36/201, Anchal- Chas, Distt.-Bokaro	136	303	65.00 Acre	North- Private Agriculture Land, South- Rural Population East- Railway Line West- Village Chainpur
		154	220 & 230	4.65 Acre	
				Total-69.65 Acre	

By Order of Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,

Principal Secretary to the Government.
